प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2024**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की रू0-8975.00 लाख के सापेक्ष अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-01-0104 में रू0-8975.00 लाख तथा लेखाशीर्षक-2401-119-89-8904 में 40 प्रतिशत संगत राज्यांश की धनराशि रू0-5983.33 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0-14958.33 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33/बजट/2024-25, दिनांक-05.07.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह **कहने का निदेश हुआ है कि** वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के पत्र सं0-एफ.नं0-एफ.एम.-11/38/2023-एफएमई दिनांक 01.07.2024 द्वारा लेखाशीर्ष-2401-119-01-0104 के अन्तर्गत धनराशि रू0-8975.00 लाख (नवासी करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) केन्द्रांश एवं लेखाशीर्ष-2401-119-89-8904 में रू0-5983.33 लाख (उनसठ करोड़ तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) राज्यांश, इस प्रकार केन्द्रांश+राज्यांश की कुल धनराशि रू0-14958.33 लाख (एक अरब उन्चास करोड़ अट्ठावन लाख तैंतीस हजार मात्र) **की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय** किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय उसी पद/कार्याे में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.07.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रस्ताव में आंकडो की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
6. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

7. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी।

8. जिन मामलों में उ.प्र. बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

-2इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षप्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्) 2401001190104 **:**योग उन्नयन योजना ((.के-40.रा/60.के)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (.के-40.रा/60.के)	08 कार्यालय व्यय	3,00, 000 (रुपये तीन लाख मात्र)
2	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (.के-40.रा/60.के)	27 सब्सिडी	87,49,00, 000 रुपये सत्तासी करोड़) (उनचास लाख मात्र
3	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (.के-40.रा/60.के)	42 अन्य व्यय	1,20,00, 000 रुपये) एक करोड़ बीस लाख मात्र (
4	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (.के-40.रा/60.के)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षणतत्सम्बन्धी / स्टेशनरी का क्रय	3,00, 000 (रुपये तीन लाख मात्र)
5	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (.के-40.रा/60.के)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,00, 000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**89,75,00, 000** **(रुपये नवासी करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)**

.....3/-

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना) 2401001198904 :

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	08 कार्यालय व्यय	2,00, 000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	27 सब्सिडी	58,32,67, 000 रुपये अट्ठावन करोड़ बत्तीस) (लाख सड़सठ हजार मात्र
3	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	42 अन्य व्यय	80,00, 000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
4	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सम्बन्धी / स्टेशनरी का क्रय	2,00, 000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	66,66, 000 रुपये छियासठ लाख) (छियासठ हजार मात्र
	कुल			**59,83,33, 000** **(रुपये उनसठ करोड़ तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र)**
महायोग				1,49,58,33, 000 (रुपये एक अरब उनचास करोड़ अट्ठावन लाख तैंतीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-70-X-2024-25-दिनांक:16-7-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

.....4/-

संख्या- /2024/710(1)/58-2-2024, तद्दिनांक।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in